6/11/24

अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी को प्रेषित नोटिस पर गांव 22 NP से वापस नहीं आने व कोई पता नहीं होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जबकि अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में सही पता अंकित किया है। पत्रावली अर्थवती न्यायालय से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुए को 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अपीलार्थी काफी समय तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की प्रकरण चलाने में कोई रुचि शेष नहीं रह गयी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)